



प्रेस विज्ञप्ति / Press Release

23 अप्रैल / April, 2020

सिडबी द्वारा बैंकों, एनबीएफसी व एमएफआई के माध्यम से एमएसएमई को चलनिधि समर्थन की घोषणा

इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से पैदा हुई एमएसएमई इकाइयों की चलनिधि
कठिनाई का निवारण करना है

SIDBI announces liquidity to MSMEs through banks, NBFCs and MFIs

Aimed at helping MSMEs tide over the liquidity crunch faced due to COVID-19
pandemic

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न प्रमुख वित्तीय संस्थान, लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने बैंकों जिनमें लघु वित्त बैंक (एसएफबी) भी शामिल रहेंगी, फिनटेक सहित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और अल्प-वित्त संस्थाओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए विशेष चलनिधि योजना शुरू की है। यह योजना बैंकों, एनबीएफसी और एमएफआई को सावधि ऋण के रूप में संसाधन सहायता प्रदान करेगी ताकि इनकी परिचालनगत निरंतरता सुनिश्चित हो और एमएसएमई क्षेत्र को आगे ऋण प्रदायगी प्रवर्द्धित हो। इन ऋणों अवधि 90 दिन की होगी।

Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the principal financial institution engaged in the promotion, financing and development of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs), has launched special liquidity scheme for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through banks including Small Finance Banks (SFBs), Non-Banking Financial Companies including fintech NBFCs and Microfinance Institutions (MFIs). The scheme would provide financial support to banks, NBFCs and MFIs by way of term loans to ensure operational continuity and promote onward lending to MSMEs. The tenor of these loans will be 90 days.

सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद मुस्तफा, आईएस ने कहा, "हम लगातार एमएसएमई इकाइयों को कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट से बचाने में मदद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हमें एमएसएमई इकाइयों को चलनिधि की कमी से निपटने में उन्हें सक्षम बनाने हेतु रुपये 15,000 करोड़ का विशेष चलनिधि समर्थन दिया गया है। यह धनराशि पात्र बैंकों, एनबीएफसी, और अल्प-वित्त संस्थाओं के

माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि इसके माध्यम से एमएसएमई इकाइयों की चलनिधि विषयक समस्याओं का समय पर और पर्याप्त रूप से समाधान किया जा सकेगा।

Shri Mohammad Mustafa, IAS, Chairman and Managing Director of SIDBI said, "We are continuously working towards helping MSMEs survive the crisis created due to the COVID-19 pandemic. Keeping the current situation in mind, we were provided a special liquidity window of Rs. 15,000 crore by the Reserve Bank of India (RBI) to enable MSMEs to tide over their liquidity crunch. The funds will be channelised to MSMEs through eligible banks, NBFCs and MFIs. We hope through this, MSMEs liquidity issues shall be addressed, timely and adequately."

इस योजना के तहत पात्र होने के लिए, किसी बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक) के पास सुदृढ़ वित्तीय मानकों के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) / अल्प-वित्त का एक बड़ा बकाया ऋण संविभाग होना चाहिए। उसे एक बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और विदेशी) के रूप में न्यूनतम तीन साल से परिचालनरत होना चाहिए और उसके द्वारा पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में लाभ अर्जित किया गया होना चाहिए। अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार, बैंक की न्यूनतम निवल मालियत रु.100 करोड़ होना चाहिए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 9 प्रतिशत से कम न हो और निवल गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) का अनुपात 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

To be eligible under this scheme, a bank (public sector bank, private sector bank, foreign bank and SFBs) should have a sizeable outstanding loan portfolio to Micro and Small Enterprises (MSEs)/micro credit and sound financials. As a bank (public sector, private and foreign) they should have been in operation for a minimum period of three years and should have earned profit for a at least two years out of the last three years. As per the last audited balance sheet, the bank should have a networth of minimum Rs. 100 crore, a Capital Adequacy Ratio (CAR) of not less than 9 percent and net Non-Performing Assets (NPA) ratio not exceeding 10%.

लघु वित्त बैंकें (लघु वित्त बैंक में रूपांतरित होने से पूर्व की इकाई को शामिल करते हुए) जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में से कम-से-कम दो वर्षों में लाभ अर्जित किया हो। न्यूनतम निवल मालियत की अपेक्षा रु.100 करोड़ है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात कम-से-कम 15 प्रतिशत होना चाहिए और निवल एनपीए अनुपात 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

SFBs (including previous entities prior to conversion into SFB) should have earned profit during the last two years out of the three years of operation. The networth required is a minimum of Rs. 100 crore, the CAR should be at least 15 percent and the net NPA ratio should not be greater than 7 percent.

वे एनबीएफसी पात्र होंगी जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निवेश और ऋण कंपनी (आईसीसी) के रूप में पंजीकृत हों और कम से कम 3 वर्षों से इस व्यापार में हों। उनके पास न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि रु.20 करोड़ और न्यूनतम आस्ति आकार रु.50 करोड़ होना चाहिए। यथा 31 मार्च, 2020 तक एनबीएफसी की क्रेडिट रेटिंग न्यूनतम 'बीबीबी-' या इसके समतुल्य होनी चाहिए। उनके द्वारा लागू विनियामक अपेक्षाएँ भी अनुपालित होना चाहिए और उनके प्रवर्तक / इकाइयों के नाम भारतीय रिजर्व

बैंक की किसी भी निषिद्ध सूची या चूककर्ताओं की सूची में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, पिछले 24 महीनों के दौरान उनका सीएआर हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं से ऊपर होना चाहिए।

The eligible NBFCs will be the ones which are registered with RBI as Investment and Credit Company (ICC) and should have been in business for at least 3 years. They should have minimum net owned funds of Rs. 20 crore and asset size of at least Rs. 50 crore. The credit rating of the NBFCs should be minimum 'BBB-' or equivalent as on March 31, 2020. They should also have complied to applicable regulatory requirements and the promoter/entities should not be in any RBI blacklist or defaulters list. Besides that, the CAR should always be above RBI requirements during the last 24 months.

एमएफआई को पात्र होने के लिए, उन्हें कम से कम तीन वर्षों से परिचालन में होना चाहिए और उन्हें एक सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी / सेक्शन 8 कंपनी, एनबीएफसी-एमएफआई या सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। एमएफआई के पास 31 मार्च 2020 तक कम-से-एककम 'बीबीबी-' या इसके समकक्ष की रेटिंग होनी चाहिए और और उनके प्रवर्तकों / इकाइयों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक की किसी भी निषिद्ध सूची या चूककर्ताओं की सूची में नहीं होना चाहिए। पिछले 24 महीनों के दौरान उनका सीएआर भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं से कम नहीं होना चाहिए और उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक दिशानिर्देश अनुपालित होने चाहिए।

For MFIs to be eligible, they should have been in operation for at least three years and registered as a society, trust, company/section 8 company, NBFC-MFI or co-operative society. The MFIs should have a credit rating of at least 'BBB-' or equivalent as on March 31, 2020 and the promoter/entities should not be in any RBI blacklist or defaulters list. The CAR requirement should not be below RBI requirements in the past 24 months and should have complied with regulatory RBI guidelines.

सिडबी के बारे में: 1990 में अपने गठन के बाद से सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न ऋण और विकासात्मक उपायों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) के जीवन को छुआ है, चाहे ये पारंपरिक व घरेलू छोटे उद्यमी हों; उद्यमिता पिरामिड के निम्नतम स्तर के उद्यमी हों अथवा उच्चतम स्तर के ज्ञान-आधारित उद्यमी हों।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट <https://www.sidbi.in> पर जाएँ।

About SIDBI: Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements.

To know more, check out: <https://www.sidbi.in>

मीडिया संपर्क: नीलाश्री बर्मन, मोबाइल: +91 8879760249, ई मेल: neelasrib@sidbi.in

Media contact: Neelasri Barman, Mobile: +91 8879760249, E-mail: neelasrib@sidbi.in